

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : सितम्बर 24, 2015

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. एफ.12(43)एफडी/टैक्स/05-36 दिनांक 24.08.2007 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, विशेष आर्थिक जोन में या विशेष आर्थिक जोन के सह-विकासकर्त्ताओं या विकासकर्त्ताओं द्वारा स्थापित की गयी इकाईयों द्वारा अवार्ड की गयी विशेष आर्थिक जोन के राज्यक्षेत्र के भीतर निष्पादित संकर्म संविदाओं के निष्पादन में अंतर्वलिता माल में संपत्ति के अन्तरण के संबंध में उद्ग्रहणीय कर के संदाय से इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से 31.03.2016 तक छूट प्रदान करती है और जहां विशेष आर्थिक जोन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पूर्णतः स्थापित है वहां ऐसी छूट 23.08.2017 तक उपलब्ध होगी।

[एफ.12(43)एफ डी/टैक्स/05-पार्ट-88]

राज्यपाल के आदेश से,



(डॉ. देवराज)

संयुक्त शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, Dated: September 24, 2015

In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003) and in supersession of this Department's notification number F.12(43)FD/Tax/05-36 dated 24-08-2007, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, from payment of tax leviable in respect of transfer of property in goods involved in the execution of works contracts, executed within the territory of Special Economic Zone, awarded by the units being established in Special Economic Zone or co-developers or developers of Special Economic Zone, up to 31.03.2016 and where the Special Economic Zone is established entirely in backward areas specified by the State Government. such exemption shall be available up to 23.08.2017.

[F.12(43)FD/Tax/05-pt-88]

By Order of the Governor,



(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government